न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 39 / 19

प्रार्थी :– 1. केसाराम पुत्र साजनराम
2.सूजाराम पुत्र साजनराम
3.मेघाराम पुत्र साजनराम
4.रामाराम पुत्र साजनराम
5.चेनाराम पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी रनियासर जागसा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थी :–
1. पुष्पादेवी पत्नी देवाराम
2. खीमाराम पुत्र अमराराम
3. धन्नाराम पुत्र अमराराम जाति कलबी
4. जेठूसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत
5. हरजीराम पुत्र भल्लाराम
6. लच्छाराम पुत्र किशनारमा
7. पेमाराम पुत्र रामाराम
8. गिरधारी पुत्र रामाराम
9. भगवानाराम पुत्र रामाराम
10. गणपतराम पुत्र रामाराम सभी जातियान कलबी निवासी रनियासर तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

अधिवक्ता 1 श्री रतनलाल चौधरी प्रार्थी वकील

आदेश

दिनांक :–27.10.2020

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है,की सरहद मौजा रनियासर जागसा के खसरा न0 797 रकबा 56 बीघा 04 विस्वा किस्म बारानी सोयम विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की एवं विप्रार्थी संख्या 5 ता 10 के खसरा नं0 784 रकबा 82 बीघा 8 विस्वा किस्म में से एक–एक गट्ा चौडा कुल 13 फिट चौडा नया रास्ता प्रार्थीगण के खेत से झिझणिया नाडी जागसा ग्रेवल सडक तकि जाने वाले रास्ता से प्रार्थीगण के अपने खेत खसरा न. 797 रकबा 56 बीघा 04 विस्वा तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु माफिक परिशिष्ट अ ए से बी बरंग लाल विप्रार्थीगण के खसरा न0 799 व 784 में से 13 फीट नया घोषित करना चाहता है।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर विप्रार्थीगण को दिनांक 14.01.2017 नोटिसेज जारी किये गये, विप्रार्थीगण संख्या 4, 6 को सम्मन बाद तामिल हुए दीगर विप्रार्थीगण को सम्मन लेने से इंकार किया अतः उक्त के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। दिनांक 21.11.2017 को तहसीलदार पचपदरा को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी जिसकी पालना रिपोर्ट में दिनांक 19.04.2018 को प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा नें मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि मौजा रनियासार के खसरा न0 797 में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि ख0न0 799 व 784 मे से रकबा 0.06, 0.06 कुल रकबा 0.12 बीघा बनती है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी दर 64260 रूपये प्रति बीघा जो मौका फर्द अनुसार है।

प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया ।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड अनुसार जाचं करवाई गई जिसके अनुसार ग्राम खसरा सं. खसरा न0 797 में आवागमन हेतु प्रस्तावित भूमि ख0न0 799 व 784 मे से रकबा 0.06, 0.06 कुल रकबा 0.12 बीघा बिन्दु 'ए' से बी अनुसार प्रार्थी द्वारा पानी की पाईप लाईन बिछाना चाहा गया था ।

चूंकी प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य हेतु रास्ताघोषित कराने का प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण खेत खसरा संख्या 797 से झिझणिया नाडी जागसा ग्रेवल सडक तक रास्ते हेतु खसरा संख्या 799 में से 6 विस्वा व खसरा 784 में से 0.06 विस्वा भूमि रास्ते के उपयोग हेतु प्रयोग हेतु आदेश दिया जाता है। जिसकी डीएलसी रेट 64,260 प्रति बीघा है जिसके अनुसार रास्ते के प्रयोग हेतु कुल दोनो खसरान 799, 784 मे से कुल 12विस्वा भूमि रास्ते हेतु आदेश दिया गया है। जिसकी दुगनी राशि रूपये 38,556 + 38,556 कुल रूपये 61,112/- प्रार्थीगण, विप्रार्थीगण को अदा करें न लेने की सुरत में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश आज दिनांक 27.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(रोहित कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा